न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 82/2016

नीतु देवी वनाम ललिता देवी

– :: आदेश :: –

22.2.18 प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी नीतु देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या – 05/2013 के ज्ञापांक – 1297–1/आई०सी०डी०एस० दिनांक 23.09.2014 में पारित आदेश के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 251/14 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद सोनबर्षा परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत–लगमा के आंगनवाड़ी केन्द्र–लगमा मध्य, आंगनवाड़ी केन्द्र कोड संख्या – 155 पर आंगनवाड़ी सेविका चयन में बरती गई अनियमितता के विरुद्ध श्रीमती नीतु देवी, पति सुरेन्द्रनाथ ठाकुर, ग्राम+पंचायत–लगमा द्वारा दाखिल किया गया। उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र पर श्रीमती ललिता कुमारी पति ब्रजकिशोर झा का चयन किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या–155 पर सेविका चयन हेतु तीन अभ्यर्थी 1. सच्ची देवी पति विनोद कुमार झा 2. नीतू कुमारी पति सुरेन्द्र नाथ ठाकुर एवं 3. ललिता देवी पत ब्रजकिशोर झा द्वारा आवेदन दिया गया। विपक्षी ललिता कुमारी ने अपना गलत जन्मतिथि अंकित करवाकर अपना चयन सेविका के पद पर करवा लेने के विरुद्ध इनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आवेदन दिया गया, तदुपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा के पास जाँच हेतु भेज दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा द्वारा इनके आवेदन के आलोक में जाँच कर गलत रिपोर्ट जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सौंपा गया एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बिना दस्तावजे की जाँच किये दिनांक 22.09.2017 को आदेश विपक्षी के पक्ष में पारित कर दिया गया, जबकि उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु इनका सभी कागजात एवं शैक्षणिक योग्यता बिल्कूल सही था। अपीलार्थी का आगे कहना है कि सरकारी दिशा–निर्देश के अनुसार सबसे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाय, परन्तु इनका अनुपालन नहीं कर विपक्षी ललिता देवी का चयन सेविका के पद पर किया गया, जबकि उनका जन्मतिथि गलत था। अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी ललिता देवी के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से उनका उम्र 24 वर्ष है, जबकि उनकी पुत्री अनुराधा कुमारी का उम्र प्रधानाध्यापक, नव कुमार उच्च विद्यालय, लगमा द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 16 वर्ष होता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी ललिता देवी एवं उनकी पुत्री अनुराधा कुमारी के उम्र में मात्र 8 वर्ष का अन्तर है जो असंभव प्रतीत होता है, परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा के द्वारा योग्यता सूची प्रकाशित किया गया, जिसमें सच्ची देवी, नीतू देवी एवं ललिता देवी आवेदक थी एवं सच्ची देवी, जिनको 57.88% अंक था परन्तु उनका उम्र 40 वर्ष से अधिक रहने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। नीतु देवी को 52.40% अंक तथा विपक्षी ललिता देवी को 57.14% अंक, लेकिन उनके उम्र में विरोभाष था। परन्तु विपक्षी के पति ब्रजकिशोर झा के द्वारा पंचायत सचिव से झूठा शपथ पत्र दायर किया कि रतन देवी उनका पहली पत्नी थी, जिनका देहान्त दिनांक 08.06.200 को हो गया, परन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग करने पर दिनांक 10.01.2014 को निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र दिखलाया गया। परन्तु पंचायत सचिव के द्वारा स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि गलत शपथ पत्र के आधार पर विपक्षी के पति द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करवा लिया गया, जबकि उन तो उनको दुसरी पत्नी है न थी। निजी लाभ के लिए ऐसा किया गया। विपक्षी का गलत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सेविका के पद पर चयन हुआ है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलवाद दायर की है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि उक्त अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा सरसर गलत अभियोग लगाकर इनको तंग तबाह व परेशान करने के उद्देश्य से दायर किया गया है। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु विज्ञापन निकाला गया, जिसके आलोक में तीन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दाखिल किया गया, जिसके अनुरूप मेघा सूची का प्रकाशन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	आवेदिका का नाम	पति का नाम	प्राप्तांक (%) में
1	सच्ची देवी	विनोद झा	57.88
2	ललिता कुमारी	ब्रजकिशोर झा	57.14
3	नीतु देवी	सुरेन्द्रनाथ ठाकुर	52.40

22.2.18

मेघा सूची प्रकाशन के उपरांत दिनांक 02.06.2012 को आम सभा का आयोजन किया गया। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनबर्षा, सदस्य सचिव की उपस्थिति में चयन समिति के द्वारा पोषक क्षेत्र के आम लाभुकों के समक्ष विधिवत रूप से संधारित मैपिंग पंजी के अनुसार वर्ग बाहुल्य सामान्य वर्ग घोषित किया गया। तीनों अभ्यर्थियों सामान्य वर्ग बाहुल्य से थी। मेघा सूची के प्रथम स्थान की अभ्यर्थी सच्ची देवी का कुल मेघा अंक 57.88% है, किन्तु उनका उम्र 40 वर्ष से अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया। तत्पश्चात मेधा क्रम की द्वितीय अभ्यर्थी में इनका आवेदन पर विचार किया गया तथा इनका मेधा अंक 57.14% था तथा सभी अहर्त्ता को पुरा करती थी। तत्पश्चात मेधा क्रम के तृतीय अभ्यर्थी अपीलार्थी नीतु देवी के आवेदन पर विचार किया गया, जिसका मेधा अंक 52.40% था, जो इनसे कम था, इसलिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया तथा अपीलार्थी नीतु देवी की खाश ननद कविता देवी उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र की सहायिका है, जो पूर्व से चयनित है व कार्यरत है। जिस वजह से चयन मार्गदर्शिका की कंडिका–4.12 (iii) के मुताबिक चयन की अहर्त्ता को पूरा नहीं करती है। चूँकि एक ही केन्द्र पर ननद – भाभी का चयन आपस में सेविका–सहायिका हेतु नहीं किया जा सकता हैं। तत्पश्चात आम सभा द्वारा उक्त पोषक क्षेत्र के वर्ग बाहुल्य से सर्वाधिक मेधा अंक के आधार पर इनका चयन की घोषणा की गई, जिसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है तथा उक्त सारे तथ्य को देखकर सही पाकर निम्न न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया, जो सर्वथा नियमानुकूल है। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी नीतु देवी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष चयन के 7–8 माह के उपरांत सरासर गलत आरोप लगाकर इनकी चयन को बाधित करने के उद्देश्य से वाद दायर किया गया है, जबकि अपीलार्थी स्वयं आम सभा में उपस्थित नहीं थी, इसलिए चयन मार्गदर्शिका की कंडिका–8.5 के मुताबिक चयन हेतु अयोग्य है बावजूद आम सभा द्वारा उसके आवेदक पर विचार करते हुए अपीलार्थी से प्रतिपक्षी को ज्यादा अंक पाते हुए अपीलार्थी को चयन से वंचित किया गया। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी द्वारा अनुराधा कुमारी जिस पुत्री का नाम वाद पत्र में दिया गया है वह उसके स्वर्गीय बहन रतन देवी की पुत्री है, जिसका कोई सम्बन्ध इस चयन प्रक्रिया से नहीं है तथा निम्न न्यायालय द्वारा स्पष रूप से उल्लेखित किया गया है कि प्रतिपक्षी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है तथा चयन हेतु न्युनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित होने के कारण प्रतिपक्षी का उम्र 24 वर्ष है जो नियमानुकूल है। आम सभा द्वारा चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की न ही त्रुटि एवं अनियमितताएँ की गई है बल्कि पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए सर्वाधिक मेघा अंक के आधार पर के अनुरूप इनका चयन किया गया है । प्रतिपक्षी द्वारा अपीलार्थी के वाद खारिज करने की याचना की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। चूँकि चयन के समय विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों के आधार पर वो सर्वथा चयन के योग्य था तथा उसकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा के अन्तर्गत थी। अतः विपक्षी का चयन सही था एवं निम्न न्यायालय का आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है। साथ–साथ चूँकि अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के उम्र तथा उनकी पुत्री की उम्र के अंतर तथा द्वितीय पत्नी संबंधी गलत शपथ पत्र के संबंध में साक्ष्य दिये गये है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी. एस. को निदेशित किया जाता है कि इस संबंध में स्वयं जाँच करेंगे तथा साक्ष्यों की पुष्टि करेंगे तथा गलत पाये जाने पर विधि सम्मत शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.2.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.2.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक.....1115-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 27-07-2017.

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

27-07-017